प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 25.01.2025**

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 2320 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 24.01.2025 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान राजनगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर पडने वाले छठ घाट नन्दग्राम के पास से मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त धीरज पुत्र मोहन लाल निवासी ए-1112 दीनदयालपुरी गली नं0-12 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से 2320 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार किये गये अभियुक्त धीरज उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं यह गांजा मोहननगर बस अड्डे के पास से एक व्यक्ति से लेकर आता हूँ उसका नाम पता मालूम नहीं है और ना ही वह अपना नाम बताता है। मैं यह गांजा पुडिया बनाकर मुनाफा कमाने के लिए राह चलते लोगों को बेच देता हूँ, जिससे मैं अपना शौक पूरा करता हूँ।

अभियुक्त का नाम व पता-

धीरज पुत्र मोहन लाल निवासी ए-1112 दीनदयालपुरी गली नं0-12 नन्दग्राम थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद उम्र-34 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभि0 धीरज उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानी गेट पर 01 अभियोग आबकारी एक्ट संबंधी व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग एनडीपीएस संबंधी कुल 02 अभियोग कमि0 गाजियाबाद में पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

2320 ग्राम गांजा बरामद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा घर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी को चैकिंग के दौरान गाडी के बोनेट पर घसीटकर टक्कर मारकर स्टंट करने वाले अभियुक्त किया गया गिरफ्तार, कब्जे से स्टंट में प्रयुक्त गाडी बरामद।

दिनांक 24-01-25 को ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी द्वारा थाना नन्दग्राम पर सूचना दी गयी कि नन्दग्राम कट पर मेरे व सहकर्मी द्वारा उच्चाधिकारीगण के आदेश के अनुपालन में डियूटी की जा रही थी, एक कार जिसका रजि0नं0 UP 14BM5185 नये बस अड्डे की तरफ से तेजी व लापरवाही से चलाते हुऐ आयी। रोकने का इशारा किया गया तो वाहन चालक ने वाहन को रोकने के बजाय मुझसे को टक्कर मार दी व वाहन के बोनट पर गिरने के बाद वाहन चालक मुझ कॉस्टेबल को बोनट पर गिराकर करीब 1 किमी तक ले गया पब्लिक के लोगो के रोकने को कहने पर भी वाहन नही रोका पब्लिक के आदमी जो मोटर साइकिल से कार को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने बाइक को टक्कर मार दी आगे चलकर वाहन चालक ने एक कार I-10 NIOS न0 UP14GH5910 को भी टक्कर मार दी गयी। उक्त सूचना पर तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से दिनांक 25-01-25 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को हिन्डन मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से स्टंट करने वाली गाडी SANTRO, UP-14-BM- 5185 बरामद की गयी। अभि0 के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरे पास गाडी से सम्बन्धित कागज व ड्राईविंग लाईसेन्स नही था, जिस कारण मैने पुलिस के रोकने पर गाडी नही रोकी और गाडी अधिक तेज गति से भगा दी।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पता –

आदित्य पुत्र मंजू सिंह निवासी म0नं0 186 अशोक वाटिका , गरिमा गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1 सैन्ट्रो कार रजि नं0 UP 14 BM 5185 घटना में प्रयुक्त।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 50 पव्वा अवैध शराब बरामद।

दिनांक 24.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त इमरान पुत्र पप्पू निवासी शीशे वाली मस्जिद डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा नेहरु पार्क प्रेम नगर लोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 50 पव्वा अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं हरियाणा से चोरी छिपे शराब खरीद कर लाता हूँ तथा मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेच देता हूँ तथा इससे जो रूपये मिलते हैं उनसे मैं अपने शौक पूरे करता हूँ। मैं ये अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान पुत्र पप्पू निवासी शीशे वाली मस्जिद डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अवैध शराब बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

50 पव्वा अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम- थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.01.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा मेरी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताडित करना और दहेज की माँग पूरी न होने पर एक राय होकर शादी के करीब 13 माह बाद ही उसके पति व ससुरालजनों द्वारा फांसी लगाकर उसकी हत्या कर देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 80/85 बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 25.01.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अल्ताफ (पति) पुत्र रहीस अंसारी निवासी अल्वी नगर अंकुर एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा निकाह मृतका से लगभग 13 माह पूर्व हुआ था। हम दोनों का एक 02 माह का लडका भी है। शादी के बाद से हम दोनो पति-पत्नी के बीच में अनबन रहने लगी थी। दिनांक 20.01.2025 की रात में भी हम दोनों के बीच में लडाई झगडा हुआ था। तथा घटना के सम्बन्ध में बताया कि मैं अपना बयान माननीय न्यायालय में दूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अल्ताफ (पति) पुत्र रहीस अंसारी निवासी अल्वी नगर अंकुर एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा महिला के दुष्कर्म करने एवं जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 24.01.2025 को आवेदक श्री हिरदेश कुमार कुमार की तहरीर जिसमें आवेदक की पत्नी को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करना एवं उसकी जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने की तहरीर पर थाना पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते हुये लोकल इन्पुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक को अभियुक्त इमरान पुत्र रहीसुद्दीन नि0 गली न01 सरस्वती विहार खोड़ा गा0बाद को विजयनगर टी पाईट से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि साहब मेरी मुलाकात प्रीती से कुछ महीनों पहले काम के दौरान हुई थी। मैं उससे प्यार करने लगा था। तो मैने उसे शादी के लिये कहा तथा उसके साथ सम्बन्ध बनाये थे। तथा उसे मैने अपने धर्म में भी आने के लिये कहा था।

नाम पता अभियुक्त

1. इमरान पुत्र रहीसुद्दीन नि0 गली न01 सरस्वती विहार खोड़ा गा0बाद उम्र 32 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी शराब बेचने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी शराब के 143 पव्वे व अवैध देशी शराब को बेच कर प्राप्त 5,780/- रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 25.01.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध देशी शराब बेचने वाले 03 अभियुक्तगण 1. गोपाल पुत्र अरुण ठाकुर निवासी किरायेदार देवेन्द्र का मकान ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम रतनपुर थाना कमतौल जिला दरबंगा बिहार उम्र करीब 32 वर्ष, 2. राकेश पुत्र रामचरण निवासी किरायेदार मनोज का मकान ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम बारा थाना कौशाम्बी जनपद प्रयागराज उम्र करीब 46 वर्ष व 3. मौ0 एजाज पुत्र मौ0 सलीम निवासी झुग्गी झोपडी ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम कुमिया थाना जौकी जिला अरहरिया बिहार उम्र करीब 35 वर्ष को गाजीपुर रोड़ ग्राम भौवापुर से अवैध देशी शराब के 143 पव्वे व अवैध देशी शराब को बेच कर प्राप्त 5,780/- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग ठेके के मालिक उमेश कुमार के कहने पर अधिक पैसे कमाने के लिए समय से पूर्व ही ठेका खोलकर देशी शराब के पव्वे बेचने का काम शुरु कर देते है। देशी शराब के पव्वों को बेचने से जो प्राप्त पैसों को हम लोग ठेके के मालिक उमेश कुमार को दे देते है और मालिक उमेश कुमार हमें हमारी मजदूरी उन पैसो में से दे देता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:

1. गोपाल पुत्र अरुण ठाकुर निवासी किरायेदार देवेन्द्र का मकान ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम रतनपुर थाना कमतौल जिला दरबंगा बिहार उम्र करीब 32 वर्ष
2. राकेश पुत्र रामचरण निवासी किरायेदार मनोज का मकान ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम बारा थाना कौशाम्बी जनपद प्रयागराज उम्र करीब 46 वर्ष
3. मौ0 एजाज पुत्र मौ0 सलीम निवासी झुग्गी झोपडी ग्राम भौवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता ग्राम कुमिया थाना जौकी जिला अरहरिया बिहार उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- अवैध देशी शराब के 143 पव्वे व अवैध देशी शराब को बेच कर प्राप्त 5,780/- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा वादी के साथ मारपीट कर फायरिंग करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 24.01.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी एडवोकेट कपिल चन्देला द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि अनिल व नितीन शकतपुरा के अन्य 8-10 अज्ञात साथियों द्वारा मुझे घर से खीचकर घर के बाहर मेरे साथ लाठी डण्डों व हथियार से मारपीट की गई। जिससे मैं घायल हो गया तथा मेरे घर के बाहर फायरिंग की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर धारा 115(2),191(2),191(3),109,352,351(2),351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए आज दिनांक 25.01.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वादी के साथ मारपीट कर फायरिंग करने वाला 01 वाँछित अभियुक्त अनिल कसाना पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह निवासी ए- 304 राज रिट्रीज सोसायटी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम रिस्तल थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को भौपुरा तिराहा तुलसी निकेतन टीलामोड़ से गिरफ्तार का गया। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कसाना पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कसाना पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह उपरोक्त से पूछताछ में बताया कि मेरी और नितिन कसाना की कपिल चन्देला से पुरानी रंजिश चली आ रही है और कपिल चन्देला अपने आप को एडवोकेट समझता है और हमारे बारे में लोगो को भड़काता रहता है। इसलिये मैने अपने साथियों के साथ मिलकर कपिल के साथ मारपीट की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अनिल कसाना पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह निवासी ए- 304 राज रिट्रीज सोसायटी थाना टीलामोड़ गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम रिस्तल थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त अनिल कसाना पुत्र श्री ब्रह्मपाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर मारपीट कर फायरिंग करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग, थाना लोनी पर मारपीट के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना खेकड़ा जिला बागपत में हत्या करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पेजीकृत है। कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना ए0एच0टी0 कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित गुमशुदा बालक जैद उम्र 13 वर्ष बरामद

दिनांक 25.01.2025 को थाना ए0एच0टी0 कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा रेस्क्यू के दौरान थाना लोनी पर पंजीकृत मुकदमे से सम्बंधित गुमशुदा बालक जैद उम्र 13 वर्ष पुत्र मौहम्मद असलम निवासी- म0नं0-01 ऊपर कोट लोनी मस्जिद के पास थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद को सलाम बाल ट्रस्ट उदय ओपन सेल्टर होम गांधीनगर थाना सिहानी गेट गाजियाबाद से बरामद किया गया, जो दिनांक 17.01.2025 को घर से सुबह 11 बजे बिना बताये कही चला गया था। बालक जैद 2 बहनों का इकलौता भाई है। बालक जैद बोल नहीं पाता है। बालक जैद के पिता फैक्ट्री में मजदूरी करते है। बालक जैद की माताजी की मृत्यु 01 वर्ष पहले हो चुकी है। बालक जैद के चाचा का नाम समीर पुत्र सिकन्दर निवासी- म0नं0-01 ऊपर कोट लोनी मस्जिद के पास थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद है। बालक जैद अपने चाचा समीर के पास ही रहता था। बालक जैद को बरामद कर परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। परिजनों ने खुश होकर पुलिस को धन्यवाद दिया।

बरामद बच्चें का विवरणः

जैद उम्र 13 वर्ष पुत्र मौहम्मद असलम निवासी- म0नं0-01 ऊपर कोट लोनी मस्जिद के पास थाना लोनी गाजियाबाद।

बरामद करने वाली टीमः-

1-श्रीमती तरूणा सिंह थाना प्रभारी ए0एच0टी0

2- है0का0 720 बृजेश कुमार

3- है0का0 273 अमनेह कुमार

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार करीब 4 लाख रूपये रिफण्ड, विभिन्न राज्यों की 27 घटनाओं का खुलासा।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर अपराध करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सदस्य अभियुक्त गुरूदत्त सिंह मल्लाह पुत्र अजीत सिंह निवासी म0नं0 26 पॉकिट-एफ, साहिल अपार्टमेंट, मयूर विहार फेस-1, मयूर विहार ईस्ट दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष को साइबर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, व्हाट्सअप चैट के साथ थाना क्षेत्र कोतवाली गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 12.05.2024 को श्रीमती रेखा सिंह निवासी वैशाली गाजियाबाद के साथ शेयर स्टाक ट्रेडिंग फ्रॉड की घटना हुई, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप अपस्टोक्स इन्वेस्टमेंट क्लब में जोडा गया तथा लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप BlockupPro में अकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने दिनांक 12.05.2024 से दिनांक 10.06.2024 तक कुल 29 लाख 90 हजार रूपये भिन्न-2 खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी की गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में श्रीमती रेखा सिंह द्वारा दिनांक 21.08.2024 को थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें 4 लाख रुपये रिफण्ड कराये गये हैं।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, इस गैंग के सदस्य लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोडकर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप BlockupPro में एकाउन्ट खुलवाकर निवेश के बहाने भिन्न-2 खातों में रुपये ट्रांसफर कराकर साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं। इस साइबर अपराध को करने वाले गैंग के 1 सदस्य को दिनांक 06.07.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पूछताछ पर आगे बताया कि वो दिल्ली निवासी रोहित के साथ मिलकर गैंग को साइबर फ्रॉड हेतु बैंक खाते उपलब्ध कराता है। बदले में इन लोगों को ट्रांजेक्शन के हिसाब से कमीशन मिलता है।

इस गिरोह के द्वारा फर्जी शेयर ट्रेडिंग एप BlockupPro एवं साइबर फ्रॉड हेतु खुलवाये गये बैंक खातों का उपयोग कर धोखाधड़ी से शेयर स्टॉक ट्रेडिंग फ्रॉड करने की 13 राज्यों के विभिन्न जिलों की 27 घटनाओं का खुलासा हुआ है जिनमें करीब 8.20 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई है। जिसका विवरण इस प्रकार है -

आन्ध्रप्रदेश राज्य के अन्नामया जिले के इन्तियाज के साथ 2,19,11,213 रुपये, हरियाणा राज्य के हिसार जिले के राजेन्द्र कुमार के साथ 33,68,000 रुपये, हरियाणा राज्य के रेवारी जिले के हेमन्त महलावत के साथ 90,382 रुपये, केरल राज्य के पलक्कड जिले की हसीना के साथ 3,53,963 रुपये, महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले के जितेन्द्र के साथ 1,90,000 रुपये, महाराष्ट्र राज्य के ब्रहन जिले के जेक्लीन लेविस के साथ 1,48,85,000 रुपये, कर्नाटक राज्य के बंगलोर सिटी जिले के वेंकट नारायण के साथ 35,00,000 रुपये, कर्नाटक राज्य के बंगलोर सिटी जिले के गीता गोपालसामी के साथ 93,67,558 रुपये, तमिलनाडु राज्य के सलेम सिटी जिले के ससिकुमार मनि के साथ 2,69,000 रुपये, उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के कार्तिक अरोरा के साथ 3,00,000 रुपये, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतमबुध्द नगर जिले के वैभव अरोरा के साथ 2,89,000 रुपये, पश्चिम बंगाल राज्य के रायगंज जिले के सत्यजीत साहा के साथ 12,00,000 रुपये, तेलंगाना राज्य के साइबराबाद जिले के दुर्गा भवानी

के साथ 1,26,00,000 रुपये, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के आनन्द अग्रवाल के साथ 26,89,489 रुपये, बिहार राज्य के अररिया जिले के उमर हसन के साथ 36,71,000 रुपये, गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के मोहनिश के साथ 19,50,176 रुपये, तमिलनाडु राज्य के रेडहिल्स जिले के शाकिर के साथ 14,90,894 रुपये, छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के धनंजय के साथ 20,000 रुपये, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद सिटी जिले के फराज के साथ 5,00,000 रुपये, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के आशियाना बेगम के साथ 25,000 रुपये, तेलंगाना राज्य के जिला रचकोंडा के पोलामुरी स्वरूप कुमार के साथ 3,00,000 रुपये, केरल राज्य के तिरुवनंनतपुर जिले के एंटनी विन्सेन्ट के साथ 7,21,000 रुपये, महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर जिले के विनोद के साथ 3,00,000 रुपये, उत्तरप्रदेश राज्य के गोन्डा जिले के गौरव कुमार के साथ 50,000 रुपये, उत्तर प्रदेश राज्य के कमिश्नरेट कानपुर के रमाकान्त मौर्या के साथ 10,00,000 रुपये, बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के महेश्वर प्रसाद के साथ 5,00,000 रुपये, तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले के आर. मंगेश के साथ 4,00,000 रुपये के साइबर फ्राड की घटनाओं को इस गैंग के द्वारा अंजाम दिया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. गुरुदत्त सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी म0नं0 26 पोकिट एफ साहिल अपार्टमेन्ट मयूर विहार फेस 1 मयूर विहार ईस्ट दिल्ली हाल पता-- C-1, 131 दीप विहार सै0 24 रोहिणी दिल्ली शिक्षा-11वीं।

<u>बरामदगी का विवरण –</u>

घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन,

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।